न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0ः–14/24 तारीख रजुः–24.06.24

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र फैलूराम उम्र 65 साल जाति ब्राहम्ण
2. विष्णु पुत्र भंवर उम्र 47 साल जाति ब्राहम्ण
3. मनोज पुत्र रूपसिंह उम्र 30 साल जाति गुर्जर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. किरण पुत्री मुरारी उम्र 58 साल
2. मदनमोहन पुत्र मुरारी उम्र 60 साल
3. लक्ष्मी पुत्र मुरारी उम्र 56 साल
4. विजय कुमार पुत्र मुरारी उम्र 54 साल
5. हरीचरण पुत्र मुरारी उम्र 62 साल
   सभी जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम अतेवा तहसील करौली जिला करौली
6. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला करौली

–अप्रार्थीगण

–ःःप्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रास्ता की स्वीकृति दिये जाने बाबतःः–

–ःः**निर्णय**ःः– दिनांकः– 11/9/25

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नंबर 566, 567, 569 के खातेदारान उर्मिला पत्नि मोहन, जीतू, म[illegible]सिंह काजल, लक्ष्मी पुत्रीयान रूपसिंह, महेश पुत्र बुद्धु, रेखा पुत्री मोहन, रवि मोहन, विष्णु पुत्र बुधु जाति ब्राहम्ण निवासी अतेवा एवं इसी प्रकार खसरा नंबर 583 के खातेदारान कान्ता, गुड्डी, मीना, संतरा, सम्पति पुत्रीयान भंवर एवं लक्ष्मीकांत पुत्र भंवर जाति ब्राहम्ण निवासी अतेवा एवं खसरा नंबर 581 के खातेदारान कल्याण, मुंशी पुत्रान किसोरया, गिर्राज, गोपाल पुत्रान लल्लू, गुड्डी पुत्री भगवती, चन्द्रदेव पुत्र प्रभु, चौथी पत्नि भगवती, छोटे पुत्र जगन,

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2025.11.07 10:36:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

जयप्रकाश पुत्र भगवती, डिग्गी पुत्र भगवती, दुर्गा पुत्र प्रसादी, गोविन्द पुत्र प्रभु, निसा, मनीषा, लक्ष्मी पुत्रीयान रूपसिंह, पूरन पुत्र जगन्नाथ, भंवर पुत्र मिथ्या, राधेश्याम पुत्र लल्लु, रामबाबू पुत्र भगवती, शिवचरण पुत्र भगवती, विमला पत्नि प्रभु जातियान ब्राहम्ण निवासी अतेवा को पक्षकार प्रार्थीयान एवं अप्रार्थीयान नहीं बनाया गया है एवं धारा 251 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान आदेश 7 नियम 11 व आदेश 1 नियम 13 सीपीसी के तहत इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251 आर टी एक्ट को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीयान द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 व आदेश 1 नियम 13 सीपीसी का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष वेग एवं निराधार तथ्यों पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रकरण को देरीना करने की नियत से पेश किया है। आवेदन प्रार्थीगण खारिज होने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रकरण में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 व आदेश 1 नियम 13 सीपीसी पोषनीय नहीं है। मामला धारा 251 आर टी एक्ट का है। रास्ते से संबंधित है। कृषि भूमि को आने जाने के लिये जाने वाले रास्ते को दबाते हुये रास्ते में अवरोध करने एवं कृषि भूमि को संयत्र साधन ले जाने हेतु आवेदकगण भूमि को आवागमन हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने से संबंधित है। इस कारण प्रकरण में प्रार्थना–पत्र पोषनीय नहीं है। विधि विरूद्व है। खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा विभिन्न खातेदारान को प्रार्थीगण नहीं बनाने से संबंधित आक्षेप प्रार्थना पत्र में दर्ज किये है जो संम्पूर्ण तथ्य वेग एवं निराधार है जिस खसरा नंबर 580 के आवेदकगण की भूमि को आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है वह सभी खातेदारान उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण बनाये गये आवश्यक पक्षकार बनाये गये है अप्रार्थीगण द्वारा वेग एवं मिथ्या तथ्य कथन किये किये है प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने एवं वेग तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा आवागमन हेतु चालु रास्ते को दीवाल बनाकर सकड़ा किया गया है। जो प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट वर्णित है और उक्त रास्ते को पूर्व निर्धारित चौडाई में एवं विधि अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2025.11.07 10:36:20
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया है इसलिये अन्य खातेदारान को अप्रार्थी बनाया जाना आवश्यक नहीं है। दीगर खातेदारान द्वारा विधि विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है तो दीगर खातेदारान को पक्षकार बनाने का प्रश्न नहीं है। अप्रार्थीगण ने वेग व निराधार तथ्य प्रार्थना–पत्र में दर्ज किये है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान ने जबाव प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीयान सायलान ने प्रार्थना–पत्र में खसरा नंबर 566, 567, 569 व 583 एवं 581 के खातेदारान को पक्षकारान नहीं बनाया है एवं प्रार्थना–पत्र धारा 251 आर टी एक्ट न्यायालय हाजा के सुनवाई योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र धारा 251 आर टी एक्ट क्षेत्राधिकार अभाव में एवं पक्षकारों के कुसंयोजन होने से खारिज जोव।

वकील अप्रार्थीयान सायलान का बहस में कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष वेग एवं निराधार तथ्यों पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रकरण को देरीना करने की नियत से पेश किया है। आवेदन प्रार्थीगण खारिज होने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रकरण में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 व आदेश 1 नियम 13 सीपीसी पोषनीय नहीं है। मामला धारा 251 आर टी एक्ट का है। रास्ते से संबंधित है। कृषि भूमि को आने जाने के लिये जाने वाले रास्ते को दबाते हुये रास्ते में अवरोध करने एवं कृषि भूमि को संयत्र साधन ले जाने हेतु आवेदकगण भूमि को आवागमन हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने से संबंधित है। इस कारण प्रकरण में प्रार्थना–पत्र पोषनीय नहीं है। विधि विरूद्व है। खारिज [illegible] योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा विभिन्न खातेदारान को प्रार्थीगण नहीं बनाये संबंधित आक्षेप प्रार्थना पत्र में दर्ज किये है जो सम्पूर्ण तथ्य वेग एवं निराधार है जिस खसरा नंबर 580 के आवेदकगण की भूमि को आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है वह सभी खातेदारान उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण बनाये गये है आवश्यक पक्षकार बनाये गये है अप्रार्थीगण द्वारा वेग एवं निराधार तथ्य दर्ज किये किये है प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने एवं वेग तथ्यों पर आधारित होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2025.11.07 10:36:20 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

से खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा आवागमन हेतु चालु रास्ते को दीवाल बनाकर सकड़ा किया गया है। जो प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट वर्णित है और उक्त रास्ते को पूर्व निर्धारित चौडाई में एवं विधि अनुसार रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया है इसलिये अन्य खातेदारान को अप्रार्थी बनाया जाना आवश्यक नहीं है। दीगर खातेदारान द्वारा विधि विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है तो दीगर खातेदारान को पक्षकार बनाने का प्रश्न नहीं है। अप्रार्थीगण ने वेग व निराधार तथ्य प्रार्थना–पत्र में दर्ज किये है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयान द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 251 आर टी एक्ट में खसरा नंबर 566, 567, 569, 583, 581 के खातेदारान को प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है जो प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2076–79 से स्पष्ट है एवं धारा 251 आर टी एक्ट का प्रार्थना–पत्र न्यायालय में पेश किया गया है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार करौली का है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान गैरसायलान आदेश 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयार/गैरसायलान आदेश 7 रूल 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र धारा 251 आर टी एक्ट मुकदमा नंबर 14/24 उनवानी ओमप्रकाश वगै0 बनाम किरण वगै0 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11/9/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मी...)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.11.07 10:36:
Reason: SelfAttested